



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल- 462 016 (म.प्र.)

क्रमांक

/स्था/प्रनिबो/2015,

भोपाल दिनांक

// कार्यालय आदेश //

खनिज साधन विभाग म0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 30/10/2015 द्वारा मेन्यूअल रेत खदानों के सम्मति प्रकरण में स्थापना सम्मति एवं उत्पादन सम्मति एक साथ जारी करने के प्रस्ताव के संबंध में गठित समिति की अनुशंसाओं के परिपेक्ष्य में बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अंतर्गत त्वरित सम्मति जारी करने की दृष्टि से "रेत खदानों" को एक साथ सशर्त स्थापना सम्मति तथा उत्पादन सम्मति प्रदान करने का प्रावधान लागू किया जाता है। साथ ही खदानों को उत्पादन सम्मति आगामी पाँच वर्षों तक प्रदान की जा सकती है।


(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

पृ. क्रमांक 3042/स्था/प्रनिबो/2015.

भोपाल, दिनांक 04-11-15

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, खनिज साधन विभाग, म0प्र0 शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी/मुख्य अभियंता (पर्यावरण)/अधीक्षण यंत्री- I/II/III/IV/ कार्यापालन यंत्री & I/II/III, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल/इन्दौर/धार/एसईजेड(पीथमपुर)/उज्जैन / ग्वालियर / गुना / शहडोल / जबलपुर/ कटनी/ छिंदवाड़ा/सागर/सतना /रीवा/सिंगरौली की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. आई.टी. सेल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।


(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव